

फर्द अहकाम

(विषय 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)

राजेश कंवर पत्नि सत्यनारायण सिंह राजपूत नि. बारला पोलिया

बनाम

सीता देवी पत्नि ब्रह्मा बलाई नि. बारला पोलिया वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 33 / 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	कवर व जरीय अहकाम जो हुकम की तारीख से जारी हुई
02.03.22	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम अम्बेडकर कॉलोनी प. ह. उँचा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 5 कुल किता 01 रकबा 0.2185 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। परन्तु उक्त कृषि भूमि के पडोसी अप्रार्थीगण होने से उन्हे सीमा बिन्दु की पुख्ता जानकारी नही होने से आये दिन सीमा बिन्दु को लेकर विवाद होता रहता है। एवं प्रार्थी उक्त कृषि भूमि का सीमाकन/पत्थरगढी कराकर भूमि को उपयोगी उपजाउ एवं विकसित करना चाहता है, इसलिये उक्त भूमि को उपयोगी एवं विकसित उपजाउ बनाने के लिये उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है। पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट रवीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम अम्बेडकर कॉलोनी प. ह. उँचा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 5 कुल किता 01 रकबा 0.2185 हैक्टेयर की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500-रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 02.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर(भीलवाडा)